न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–103/2025
रजि सं०–522/2025
CRN No. UPLP01–005297–2025

सायत बानों। **–––––निगरानीकर्ती/ प्रार्थिनी।**

बनाम

1–कमलेश उर्फ राना।
2–सरकार उ०प्र०।

––––––––––विपक्षीगण।

दिनांक 11–06–2026

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत। उभयपक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ती द्वारा प्रार्थनापत्र धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, जिसके समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, के माध्यम से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का आधार यह अभिकथित किया गया है कि प्रार्थिनी ने फौ० मु०नं०–4164/2023 बउन्वान सायत बानों बनाम कमलेश उर्फ राना अं० धारा–156(3) जा०फौ०, थाना कोतवाली निघासन, जिला खीरी में पारित आदेश दिनांक 10–03–2025 की नकल दिनांक 05–04–2025 को प्राप्त करने के बाद प्रार्थिनी अचानक बीमार हो गयी, क्योंकि वह गर्भ से थी, जिस कारण प्रार्थिनी अपने इलाज में व्यस्त हो जाने के कारण प्रार्थिनी न्यायालय आकर अपनी निगरानी समय से प्रस्तुत नही कर सकी। प्रार्थिनी अब स्वस्थ होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत कर रही है, जो अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी जानबूझकर नहीं की है, बल्कि उपरोक्त कारणवश हुई है, जो काबिले माफी है। अतः प्रार्थिनी को धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ देकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

आपत्तिकर्ता कमलेश कुमार की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आपत्ति कागज सं०–12 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, उपरोक्त मामले में जो निगरानी, निगरानीकर्ती सायत बानो के द्वारा प्रस्तुत की गयी है वह निर्धारित समयावधि के अन्दर नही है और निगरानीकर्ती सायत बानो ने अपनी निगरानी के बावत जो प्रार्थना पत्र भारतीय मियार अधिनियम धारा–5 का प्रस्तुत किया है वह विधि सम्मत नही है और न ही स्वीकार किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ती के द्वारा जो धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप ही नही है और न भारतीय मियाद अधिनियम के प्रावधान के तहत है क्योकि निगरानीकर्ती ने अपनी निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत करने में जो विलम्ब किया है वह किस कारणवश किया है और विलम्ब का कारण व आधार क्या है इसका उल्लेख अपनी निगरानी में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम में नही है। जो प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ती ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया उसमें निगरानीकर्ती सायत बानो ने विलम्ब का यथोचित कारण भी वर्णित नही किया है, निगरानीकर्ती किस तिथि में और किस कारणवश कहां रही और निर्धारित समयावधि के अन्दर अपनी निगरानी न्यायालय में नही प्रस्तुत कर पायी, उसका समुचित विधि अनुरूप कारण भी दर्शित नही किया है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का सिद्धान्त यह है कि यदि किसी मामले में किसी पक्ष के द्वारा अपनी निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया है तो वह विलम्ब किन कारणो से और किस प्रकार हुआ है इसका विवरण तिथि अनुसार व समय अनुसार

दिया जाना न्यायोचित है व सैद्धान्तिक है। इस तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी भी निगरानी प्रस्तुत करने वाले पक्ष की ही होती है और यदि निगरानी प्रस्तुत करने वाला पक्ष अपनी निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की प्रत्येक तिथि की स्थिति के अनुसार व अनुपस्थित होने के यथोचित प्रपत्र उपलब्ध होने के आधार पर ही अपनी बात को विधि सम्मत तरीके से न्यायालय में रख सकता है और उसी स्थिति में न्यायालय विलम्ब के आधार पर निर्णय से पूर्व विचार करता है। न्यायिक प्रक्रिया का यह एक सिद्धान्त है और उपरोक्त मामले में निगरानीकर्ती ने इस सिद्धान्त का कोई भी अनुपालन नही किया है। निगरानीकर्ती ने आपत्तिकर्ता को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित व परेशान करने के लिए ही उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत की है जिसमें धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करना चाहती है जो किसी भी दशा में पाने योग्य नही है। निगरानीकर्ती सायत बानो के द्वारा विलम्ब को माफ किये जाने का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह एक सरसरी तौर का प्रार्थना पत्र है और विलम्ब के किसी भी कारण को दर्शित नही किया गया है न ही उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ती उपरोक्त मामले में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नही है। निगरानीकर्ती सायत बानो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को भी इस निगरानी के प्रस्तुत किये जाने के समय प्रस्तुत नही किया गया है तथा विलम्ब माफ किये जाने का प्रार्थना पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम किसी भी स्थिति में स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम आपत्तिकर्ता की आपत्ति में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रो के आधार पर सव्यय निरस्त करने व न्याय करने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थिनी शायत बानों की ओर से सूची के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए उसे पत्रावली पर दाखिल करने हेतु प्रार्थना की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से आपत्ति करते हुए इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि, "निगरानीकर्ती ने मात्र जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया है, परन्तु चिकित्सा से सम्बन्धित अवधि का डॉक्टर (चिकित्सक) का कोई पर्चा नहीं दाखिल किया है। समयावधि का कोई भी डॉक्टर प्रमाण पत्र नहीं दाखिल है।"

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ती द्वारा वाद संख्या–4164/2023 सायत बानो बनाम कमलेश उर्फ राना में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट वाह्य न्यायालय निघासन, खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–03–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। मुंसरिम की आख्या के अनुसार प्रस्तुत फौजदारी निगरानी मियाद बाहर दाखिल किया गया है।

विलम्ब को क्षमा किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **एन० बालाकृष्णन बनाम एम० कृष्ण मूर्ति ए०आई०आर० 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज–3222** पर माननीय निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय दिलाया जा सकें। निर्णय विधि **रामगौड़ा मेजर बनाम स्पेशल एक्युजीशन आफीसर 1988(2)एस०सी०सी० पेज–142** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण का निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक न्याय दिलाया जा सके और साधारणतया निगरानी प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा कर देना चाहिए जब तक कि गंभीर लापरवाही और जानबूझकर कार्यवाही न करने की दुर्भावना प्रतीत न हो। निर्णय विधि **कलक्टर, भूमि अधिग्रहण अनन्तनाग व अन्य बनाम मु० कटीजी आदि (1987) 2 एस०सी०सी० पेज–107** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम इसलिए बनाया गया है

कि न्यायालय वाद का गुण–दोष पर निस्तारण करते हुए पक्षकारों को वास्तिक न्याय दिला सके। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि जहां पर वास्तविक न्याय तथा तकनीकियां आमने–सामने हो वहां पर भी कहा गया है कि जहां पर वास्तविक न्याय को प्राथमीकता दी जानी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिको को सम्मान अन्याय को तकनीकी आधार पर न्यायपूर्ण बनाने से नहीं है बल्कि अन्याय को दूर करने में है। निर्णय विधि **श्रीमती प्रभा बनाम राम प्रकाश कालरा (1987) सप्लीमेन्टरी एस०सी०सी० पेज–338** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने में न्यायालय को अन्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

प्रस्तुत मामले में फौजदारी निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब का आधार प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ती द्वारा गर्भ से होने के कारण अचानक बीमार होना बताया है। उपरोक्त कथनों के समर्थन में प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ती द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विधि व्यवस्था में वर्णित सिद्धान्तों जिसका उल्लेख किया जा चुका है, के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि विलम्ब को क्षमा किए जाने से न्यायालय का उदारता का दृष्टिकोण होना चाहिए। लगभग 1 माह 11 दिवस का विलम्ब कारित किया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत, रखते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम में फौजदारी निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने के जो आधार अभिकथित किए गए है, वे तर्कसंगत होना पाये जाते है। जहां तक कारित विलम्ब का प्रश्न है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से संभव है। अतएव उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण फौजदारी सं०–103/2025, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम मु०–500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अधिरोपित हर्जा प्रत्यर्थी सं०–1 को अदा हो। हर्जा अदायगी के अधीन कारित विलम्ब क्षमा किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी को प्रेषित हो। पक्षकार दिनांक 06–07–2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के न्यायालय में उपस्थित हो।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
J.O. Code–UP1561

दिनांक 11–06–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.11 17:19:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court